

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सिं0मो0-अनियमितता-203/2020-1387(मौ०) /पटना,दिनांक:-02/07/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:- भोजपुर जिलान्तर्गत नहर केनाल से निकली करहा को आहर खुदाई के नाम पर की गई वित्तीय अनियमितता की जांच के संबंध में।

प्रसंग- श्री गुप्तेश्वर सिंह, संयोजक, आर०टी०आई० मंच बिहार, प्रधान कार्यालय, ग्राम-पो०-बनकर, जिला-भोजपुर का पत्रांक संख्या-9/20 दिनांक 20.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री गुप्तेश्वर सिंह, संयोजक-आर०टी०आई० मंच बिहार ने सूचित किया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखंड के कुरकुरी ग्राम पंचायत में जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित कार्यों में आहर खुदाई का कार्य नियमानुकूल नहीं कराया गया है। साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा विषयांकित मामले की जांच हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित योजना में आरोपित अनियमितताओं की जांच करते हुए प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय साथ ही विषयांकित योजना का क्रियान्वयन प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विद्युत्सभाजन

27/07/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1387 (मौ०)

/पटना, दिनांक-02/07/2020

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/07/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1387 (मौ०)

/पटना, दिनांक-02/07/2020

प्रतिलिपि:- श्री गुप्तेश्वर सिंह, संयोजक, आर०टी०आई० मंच बिहार, प्रधान कार्यालय, ग्राम-पो०-बनकर, जिला-भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

27/07/2020

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

27/07/2020

दिनांक: - 09/06/20

दिनांक: - 20/6/20

श्री. श्री. श्री. (800210) - अध्यक्ष - सुब्रह्मण्य सिंह, संयोजक आर. टी. आर्डी. मंच विद्यालय, प्रधान -

लघु जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना
22 JUN 2020
(अपर मुख्य निदेशिका को)

श्रीमान - श्रीमान पौ. - जनक, मिना - मोनपुर 800206 बिहार में सं -
- 4470883812 -

सेवा में,
श्रीमान प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन, पटना, बिहार

मोनपुर जिला नहर के नहर के नाम से निकली करदा को आर्डी (एड) के नाम पर कि गार्ड विधि में अनियमितता कि जांच कर 31/05/20 का कार्यवाही करने के संबंध में सूचना कि निवेदन पर -

विवरण: निवेदन पूर्वक सुचीर कारना है कि वर्ष 2018 में मोनपुर जिला नहर एड की प्रकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायत में मान. मुख्य मंत्री के आने कि कार्यालय भी तब कार्यालय के पूर्व कुचुकी ग्राम पंचायत के तुलाचक्र, लघु जल संसाधन आर्डी एड और आर्डी आर्डी प्रकल्प के लक्षित ग्राम पंचायत अधीन सब ग्राम जनक में कि नहर के दोरे के नाम से निकली करदा कि एड लघु सिंचाई विभाग आर. मोनपुर द्वारा करारी गार्ड, उक्त समय में एड कार्य जारी करके इसे विधि में निवेशी हेतु लघु सिंचाई विभाग आर. मोनपुर द्वारा किमागीले बाध्य मुख्य कार्य द्वारा नहर से निकली करदा कि एड करने के संबंध में विधी में स्वीकरी प्रदान नहीं कि गार्ड, तब परा-एड वर्ष 2020 के जनसंख्या इतिहास में मोनपुर के लक्षित पूर्व में करारी गार्ड एड कि प्रकल्प प्रकल्प के आर्डी कर संवेदन से प्रकार का कार्य इन जनक ग्राम में भी के नहर के नाम से निकली करदा के एड लघु सिंचाई विभाग, आर. मोनपुर द्वारा करारी गार्ड है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अमीराला के उक्त तारीख कि जांच कर कार्यवाही कि निवेदन कि गार्ड हो उक्त पराधिकारी के मोरवीर निवेदानुसार विभाग का नहर के नाम से निकली करदा कि एड करने का प्रावधान है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त अनियमितता है कि निवेदन का कार्यालय कार्यवाही करने कि कृपा प्रकल्प प्रकल्प -

श्रीमान की आदेश का कार्यवाही हेतु सूचना -

I - श्रीमान मिना पराधिकारी,
मोनपुर, बिहार -

आपका - इ. सुब्रह्मण्य सिंह
सुब्रह्मण्य सिंह

II श्रीमान कार्यपालक कार्यालय -
लघु सिंचाई विभाग, पटना,
बिहार -

संयोजक - आर. टी. आर्डी. मंच विद्यालय

निदेशिका को

27/01/2020
22/6/20

23-06-2020

पंकज जी
7/6
23/6

29/25 (मौ)
23-06-2020